

उत्तराखण्ड सरकार



उत्तराखण्ड शासन

वृत्त का नाम :- अस्थाई वृत्त लो०नि०वि० गुप्तकाशी

खण्ड का नाम :- प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

कार्य का नाम

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ल० 2.00+3.00 किमी०) 5.00 किमी०

क्षेत्रफल :-

वन पंचायत भूमि	-	0.0000 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	-	0.1400 हेक्टेयर
आवृत्त वन भूमि	-	2.6425 हेक्टेयर
नाम भूमि	-	0.7175 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	-	3.5000 हेक्टेयर
वांछित क्षेत्रफल	-	2.7825 हेक्टेयर

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

के अन्तर्गत भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की
स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन
भूमि

हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित
करने
के प्रपत्र / प्रमाण पत्र

चैक लिस्ट

परियोजना का नाम:-		जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ल0 2.00+3.00 किमी0) 5.00 किमी0	
क्र.सं	प्रस्ताव का नाम	पेज न0	टिप्पणी
1. मुख्य सलग्नक			
1.1	सक्षम अधिकारी /आन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी/कर्मचारी का प्रमाण पत्र।	1	
1.2	सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोगीट मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया हो।	2	
1.3	मैप जिसमें टोपोगीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को जी0पी0एस0 के साथ दिखाया गया हो।	3	
1.4	गुगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	4	
1.5	प्रस्तावित कार्य हेतु वनभूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	5	
1.6	जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम 2006 का प्रमाण-पत्र मय सलग्नकों के (नये प्रारूप में)	6-11	
1.7	प्रस्तावित परियोजना का 150,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	12	
1.8	रंगीन गुगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	13	
1.9	यदि प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि अथवा राजस्व वनभूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र।	14	
1.10	भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीच हुए करार(पी0डी0एफ0)	15	
1.11	विस्तृत लागत-लाभ-विश्लेषण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।	—	लागू नहीं
2 अतिरिक्त सलग्नक			
2.1	प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता।	16	
2.2	परियोजना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	17-25	
2.3	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रयोक्ता एजेन्सी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)।	26-39	
2.4	वैकल्पिक समरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्ता किये जाने का औचित्य एवं कारण।	40-43	
2.5	जिलाधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वनभूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	44	

2.6	प्रभावित वनभूमि का लैण्ड शैड्यूल(रिजर्व फारेस्ट में प्रभागीय वनाधिकारी तथा राजस्व भूमि में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)	45	
2.7	परियोजना की लम्बाई, चौड़ाई तथा कुल क्षेत्र हे० में। भूमि विभिन्न वर्ग वाद आरक्षित, निजी वन, वन पंचायत, निजी भूमि आदि।	46	
2.8	परियोजना का भूमि उपयोग का बार-चार्ट।(प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	47	
2.9	क्षतिपूरक, वृक्षारोपण परियोजना सिविल भूमि पर(10 वर्ष दरे)।	48-51	
2.10	क्षतिपूरक, वृक्षारोपण वनस्थल उपयुक्ता प्रमाण-पत्र(प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा)।	52	
2.11	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र(प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	53	
2.12	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	54-55	
2.13	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	56	
2.14	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र(1 हे० से कम में लागू)।	—	लागू नहीं
2.15	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम(सूची आरक्षित वनक्षेत्र, सिविल वन पंचायत एवं निजी भूमि दोनों अलग-अलग बनायी जानी होगी)।	57-58	
2.16	बाँज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षण की संस्तुति का प्रमाण पत्र।	59	
2.17	अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।	60 -	—
2.18	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र।	60	
2.19	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना(निर्धारित प्रारूप में)।	61	
2.20	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण सम्बन्धी प्रमाण पत्र।	62	
2.21	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी० की परिधि में आता है, तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	—	—
2.22	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है, तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, भारतीय वन्य जीव परिषद एवं मा० उच्चतम न्यायालय की अनुमति।	—	—
2.23	वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र।	63	
2.24	आम-सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	64	
2.25	✓ प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान एवं प्राक्कलन तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मय नाम एवं पद के साथ।	65	

2.26	अवयव के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों का विवरण(यदि लागू हो तो)।	—	—
✓ 2.27	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र।	66	
✓ 2.28	भू-वैज्ञानिक की आख्या।	67	
✓ 2.29	टास्क-फोर्स रिपोर्ट।	68	
✓ 2.30	मानक शर्तों का विवरण।	69	
✓ 2.31	प्रस्तावक विभाग द्वारा मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	69	
✓ 2.32	टास्क-फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र।	70	
✓ 2.33	धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण-पत्र।	71	
✓ 2.34	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	72	
✓ 2.35	परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तेल एवं रसोई गैस का प्रमाण-पत्र।	73	
✓ 2.36	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र।	74	
✓ 2.37	एन0पी0वी0 की देयता का प्रमाण-पत्र।	75	
✓ 2.38	मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि की देयता का प्रमाण-पत्र।	76	
2.39	वनभूमि के लीज रेट का प्रमाण-पत्र।	—	—
✓ 2.40	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र।	77	
✓ 2.41	आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्रमाण-पत्र।	78	
✓ 2.42	आर0सी0सी0 पिलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया।	78	
2.43	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्य सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र(अगर लागू हो)	—	—
✓ 2.44	चैक लिस्ट/फैक्ट शीट।	79-81	

अन्य प्रपत्र

82

प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (ल० 2.00+3.00 किमी०) 5.00 किमी०

इस मार्ग की स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 887/111-2/08-42(प्रा०आ०)/टी०सी०-3 दिनांक 31.03.2008 द्वारा लम्बाई 3.00 किमी० हेतु लागत रू० 73.50 एवं शासनादेश संख्या 764/111(2)/08-85(प्रा०आ०)/2007 दिनांक 24.03.2008 द्वारा लम्बाई 3.00 किमी० हेतु लागत रू० 110.25 लाख कुल लम्बाई 5.00 किमी० कुल लागत रू० 183.75 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है (छाया प्रति संलग्न)।

यह मार्ग नगरासू-धनपुर-डांडाखाल मोटर मार्ग के किमी० 26 से निकलने वाले जसोली-काण्डा मोटर मार्ग के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होकर भुनका वल्ला एवं पल्ला तक जायेगा। जिसकी वन भूमि पत्रावली भारत सरकार द्वारा अधिक पेड़ आने के कारण निरस्त कर दी गयी थी। मार्ग की महत्ता को देखते हुए यह प्रस्ताव अब 7 मीटर चौड़ाई में पेड़ों की गणना कर गठित किया गया है। मार्ग के निर्माण हो जाने से काण्डा गांव को यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। मार्ग के नव निर्माण में 0.000 है० वन पंचायत भूमि, 0.1400 है० सिविल भूमि, 2.6425 है० आरक्षित वन भूमि एवं 0.7175 है० नाप भूमि पड़ती है। मार्ग के नव निर्माण होने उक्त गांव के साथ-साथ ही लगभग 2500 की जनसंख्या लाभान्वित होगी। मार्ग के नव निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र में स्थित अति दूरस्थ गांवों/तोकों को भी यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा स्थानीय उत्पाद जैसे आलू, माल्टा, राजमा आदि को बाजार तक लाने में सुविधा होगी।

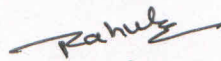
अतः मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत है।

भूमि का प्रकार-

वन पंचायत भूमि	-	0.0000 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	-	0.1400 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	-	2.6425 हेक्टेयर
नाप भूमि	-	0.7175 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	-	3.5000 हेक्टेयर

वांछित क्षेत्रफल - 2.7825 हेक्टेयर

उक्त प्रस्ताव के अन्य वांछित प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र संलग्न किये गये हैं। अतः लोक निर्माण विभाग को 2.7825 है० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव
/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त
विवरण।जनपद रुद्रप्रयाग के वि०ख० अगस्त्यमुनि में
राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-लादू देवता
से भुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव।ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि
और उसके आस-पास के वनों की
सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।

संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत।

स्वीकृत लागत = ₹ 183.75 लाख मात्र।

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने
का औचित्य।प्रस्तावित मार्ग द्वारा वन क्षेत्र होते हुए ही
सम्बन्धित मार्गों को जोड़ने हेतु एक मात्र
विकल्प है।ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये
जाने के लिए)

संलग्न है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की
संभावना है।

0.005 लाख मानव दिवस।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार
विवरण:0.0000 हैक्टेयर वन पंचायत भूमि।
0.1400 हैक्टेयर सिविल वन भूमि।
2.6425 हैक्टेयर आरक्षित वन भूमि
0.7175 हैक्टेयर निजी/नाप भूमि3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का
विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या

- शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के
परिवारों की संख्या

- शून्य

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने
के लिए)

- शून्य

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ?
(हां/नहीं)

नहीं हाँ

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

संलग्न है।

दिनांक 16/11/2014
स्थान - रुद्रप्रयाग

(ई० इन्द्रजीत बोस)
अधीशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग- I ।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

परियोजना/स्कीम का स्थान

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

जनपद रुद्रप्रयाग के वि०ख० अगस्त्यमुनि में राज्य योजना के अन्तर्गत जसोली-लाटू देवता से भुनका मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

- | | | |
|-------|---|---|
| i) | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उत्तराखण्ड |
| ii) | जिला | रुद्रप्रयाग । |
| iii) | वन प्रभाग | रुद्रप्रयाग |
| iv) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (है० में) | 5.5650 है० |
| v) | वन की कानूनी स्थिति | 0.1400 है० सिविल सोयम भूमि
2.6425 आरक्षित वन भूमि
0.7175 है० नाप भूमि
0.000 वन पंचायत भूमि |
| vi) | हरियाली का घनत्व | 0.002 |
| vii) | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ०आर०एल० - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाए | सूची में संलग्न है । |
| viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी । | भूक्षरण की सम्भावना नहीं है । |
| ix) | वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी | 2.00 किमी० |
| x) | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाए) | नहीं |
| xi) | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें । | नहीं |
| xii) | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या | नहीं । |
| 8- | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है । यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है । | प्रस्तावित मार्ग हेतु दो संरेखण उपलब्ध है । |
| 9- | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चह रहे हैं । | लागू नहीं |

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा:-

- i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
- ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
- iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।
- iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।
- v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।

संलग्न

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न है।

संलग्न

11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)

संलग्न है।

12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल

- i. जिला का भौगोलिक क्षेत्र।
- ii. जिला का वन क्षेत्र।
- iii. मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
- iv. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि
- (ख) वनेत्तर भूमि पर
- v. 2014 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति
- (क) वन भूमि पर
- (ख) वनेत्तर भूमि पर

वन प्रभाग रुद्रप्रयाग।

1984 वर्ग किमी०

1790.995 वर्ग किमी०

580.852 hae 145 case.

727.29 hae.

X

X

727.29 hae.

13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

प्रकरण रुद्रप्रयाग वन प्रभाग से सम्बन्धित है। अतः जनहित में सिफारिश की जाती है।

दिनांक 20.1.2015

स्थान-रुद्रप्रयाग

प्रभाग वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग उप वन प्रभाग

हस्ताक्षर

नाम

सरकारी

किशन लाल
प्रभाग वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग